

न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, पटना सिटी

अग्रिम जमानत आवेदन सं०— 9751/22

बहादुरपुर थाना काण्ड सं०— 269/22

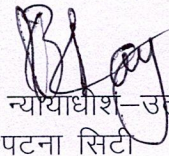
14.12.2022

आवेदक अभियुक्त धीरज कुमार पे०— संजय कुमार उर्फ संजय प्रसाद की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को परिचालित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद के संबंध में कोई दूसरा नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का इस काण्ड में कोई संलिप्तता नहीं है। उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा भागने अथवा गवाहों को प्रभावित करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाय।

विद्वान सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला धारा 30(ए), 32(2)(3), 36, 41(1)(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक पर अवैध शराब रखने तथा बेचने का आरोप है तथा घटनास्थल से 216 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है। राम विनय यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार के फूल बेंच में पारित निर्णय तथा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 के धारा 76(2) के अनुसार अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दंडप्र०सं० पोषणीय नहीं है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

लेखापित



विशेष न्यायाधीश—उत्पाद
पटना सिटी